

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
16.05.2025	<p>आज यह पत्रावली प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे।</p> <p>वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष का प्रतीत होता है तथा अपूर्ण्य क्षति प्रार्थीगण को होने की संभावना है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह तहसील अनूपगढ़ की वादग्रस्त कृषि भूमि चक-8 जे एम का मुरब्बा नं.-43 का पत्थर नं.-205/43 का किला नं.-1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 कुल भूमि 6.325 हैक्टर कृषि भूमि पर आगामी तारीख पेशी तक प्रार्थीगण के हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाकर रखें।</p> <p>सम्बन्धित को तहरीर/सूचना जारी हो। वकील प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की तलवी हेतु तलवाना नोटिस रजि. ए.डी के पेश करे। बहस हेतु अवसर मांगने पर एतराज होने पर यह स्थगन आदेश निरस्त करने पर विचार किया जा सकेगा। रजि. ए.डी. नोटिस पेश नहीं करने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 63 (1) के तहत प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी पर निरस्त मानी जावेगी। पत्रावली आईन्दा दिनांक-10.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">सुरेश राव जी.सी.एम.एस उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़</p>	



10/25 पत्रावली-प्रस्तुत। पूर्व आदेशों की पाबाना में आदिना निर्माण 11/7/25 के पत्र धी

19/25 भाग पद पत्रावली वकील हाजीगन के मूल बाद पत्र में हा० पत्र पेडा नमने पर पत्रावली में ली गई। मूल बाद का निरुत्पाण पत्रावली होने के कारण हा० पत्र 212 BTA का ~~कामेश~~ अब कोई प्रोसिचर वही रखा है इस स्थिति में हा० पत्र 212 BTA खारिज किया जाता है पत्रावली निपत्रानुसार दस्तखत दस्तावेज दर्द नठनर के रूप धी

सुरेश राव ^{आर.एस.}
अधिकारी
अनूपगढ़